


। कार्यालय- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
पत्रांक/सेवा.अराज./२८६१-६५/३क(२)/३० प्रति.पदो./२०१९-२० दिनांक १३ जून २०१९,

### कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति


गढ़वाल मण्डलान्तर्गत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, रा.उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को स्नातक वेतनक्रम के ३० प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति वर्ष २०१९ के क्रम में ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं जो ३० जून २०११ अथवा उससे पूर्व राजकीय प्राथमिक सेवा में नियुक्त हों, के आवेदन पत्र उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ के नियमों में उल्लिखित प्रावधानानुसार आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित/विज्ञापित पद (सामान्य शाखा/महिला शाखा) एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट [www.school.education.uk.gov.in](http://www.school.education.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किय जावेगा। सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका निम्न विवरणानुसार आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। कला एवं व्यायाम विषय के लिए प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक जिन्हें दिनांक ३०.०६.२०११ तक ०८ वर्ष राजकीय सेवा में पूर्ण हो चुके हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।

१. उपशिक्षा अधिकारी(पा.शि)के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि - १५ जुलाई २०१९
२. उपशिक्षा अधिकारी(पा.शि) द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच - २५ जुलाई २०१९
३. उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि) को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि- २९ जुलाई २०१९
४. जिला शिक्षा अधिकारी(पा.शि) द्वारा आवेदन पत्रों की जनपद स्तर पर वरिष्ठता सूची के आधार पर विषयवार सूची तैयार करने की अंतिम तिथि- १४ अगस्त २०१९
५. जिला शिक्षा अधिकारी(पा.शि) द्वारा जांचोपरान्त सूची अपर निदेशक.(मा.शि) के कार्यालय को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि - १९ अगस्त २०१९

  
(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा०शि०)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/ सेवा.अराज./२८६१-६५/३क(२)/३० प्रति.पदो./२०१९-२० दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
३. दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के संस्करण (उत्तराखण्ड) में (०८ x १० c.m भाग में) सःशुल्क विज्ञापित करने का कष्ट करें, तथा, भुगतान हेतु बिल भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
४. एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


  
(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा०शि०)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

। कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
पत्रांक/सेवा.अराज./2878-81 /3क(2)/30 प्रति.पदो./2019-20 दिनांक 20 जून 2019,

### कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति संशोधन


गढ़वाल मण्डलान्तर्गत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, रा.उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को स्नातक वेतनकम के 30 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2019 के क्रम इस कार्यालय के पत्रांक/सेवा.अराज./2861-64/3क(2)/30 प्रति. पदो./2019-20/दिनांक 19.06.2019 विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

उक्त विज्ञप्ति में त्रुटिपूर्ण टंकित कला एवं व्यायाम विषय के लिए प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक जिन्हें दिनांक 30.06.2011 तक 08 वर्ष राजकीय सेवा में पूर्ण हो चुके हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं के स्थान पर कला एवं व्यायाम विषय के लिए प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक जिन्हें दिनांक 30.06.2019 तक 08 वर्ष राजकीय सेवा में पूर्ण हो चुके हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं संशोधित कर पढ़ा जाय। मूल विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

  
(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/ सेवा.अराज./ 2878-81 /3क(2)/30 प्रति.पदो./2019-20 दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
3. दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के संस्करण (उत्तराखण्ड) में (08 x 10 c.m भाग में) सःशुल्क विज्ञापित करने का कष्ट करें, तथा भुगतान हेतु बिल भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


  
(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



॥ कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी ॥

विज्ञप्ति वर्ष 2019 के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय का 30 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर सहायक अध्यापक एल.टी. वेतनक्रम में पदोन्नति हेतु विज्ञापित/निर्धारित पद:-

क्र.सं.	विषय	शाखा		योग
		सामान्य	महिला	
1	2	3	4	5
1	हिन्दी	49	2	51
2	अंग्रेजी	41	2	43
3	संस्कृत	5	0	5
4	गणित	24	3	27
5	विज्ञान	48	2	50
6	सामाजिक विज्ञान	13	2	15
7	कला	32	0	32
8	व्यायाम	22	1	23
9	संगीत	0	0	0
10	गृह विज्ञान	2	2	4
11	वाणिज्य	4	0	4
12	उर्दू	1	0	1
योग		241	14	255

  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

## प्रारूप-1

विज्ञापित वर्ष 2019 के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय का 30 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर सहायक अध्यापक एल.टी. वेतनक्रम में पदोन्नति हेतु आवेदन

पत्र:-

1. नाम:-
2. पदनाम:-
3. जन्मतिथि:-
4. वर्तमान विद्यालय का नाम:-
5. विकासखण्ड का नाम:-
6. जनपद:-
7. संयुक्त वरीयता सूची का क्रमांक:-
8. प्रथम नियुक्ति तिथि (आदेश संलग्न करें):-
9. वर्तमान पद की नियुक्ति तिथि:-
10. वर्तमान पदनाम एवं वेतनक्रम:-

स्वप्रमाणित पासपोर्ट  
साइज फोटो

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	वर्ष	श्रेणी	विषय
1	2	3	4	5
1.	हाईस्कूल			
2.	इण्टर			
3.	स्नातक			
4.	परास्नातक			
5.	प्रशिक्षण योग्यता			
	अन्य			

11. किस विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है:-
12. क्या आवेदित पद के सापेक्ष विषय संयोजन है (इस हेतु स.अ.एल.टी. नियमावली विभागीय Website पर देख सकते हैं):-
13. Y क्षेत्र में की गई सेवाओं का कुल पात्रता गुणांक:-
14. X क्षेत्र में की गई सेवाओं का कुल पात्रता गुणांक:-
15. महिला अभ्यर्थी सामान्य एवं महिला शाखा के लिये वरीयता क्रम में प्रथम व द्वितीय विकल्प प्रस्तुत करें।

सामान्य शाखा	महिला शाखा

सम्बन्धित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर एवं मोबाइल नम्बर:-

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका की संस्तुति:-

उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा अग्रसारण-

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित-

नोट:-समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें। नियमावली 2014 के प्रावधानानुसार जिन अध्यापकों का विषय संयोजन न हो, उनके विकल्प पत्र अग्रसारित न किये जाय एवं टीचर्स प्रोफाइल संलग्न करते हुये पात्रता गुणांक अंकित किये जाय।